भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 130
09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्राकृतिक आपदाओं के कारण धान की फसलों को नुकसान

***130. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेलः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में हुई भारी वर्षा/सूखा/ओलावृष्टि/कीटों के प्रकोप से बांदा और चित्रकूट जिलों में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है;

(ख) इन दोनों जिलों में कुल कितने हेक्टेयर धान की फसल खराब हुई है और इसके कारण कुल कितना नुकसान होने का अनुमान है;

(ग) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत प्रभावित किसानों को अब तक फसल नुकसान के कारण मुआवजे की कुल कितनी राशि संवितरित की गई है;

(घ) कुल कितने किसानों को अभी तक फसल का नुकसान होने पर मुआवजा नहीं मिला है और उन्हें यह मुआवजा कब तक मिलने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार इसमें किसानों को अतिरिक्त राहत पैकेज/विशेष सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"प्राकृतिक आपदाओं के कारण धान की फसलों को नुकसान" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 09 दिसंबर 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 130 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं से जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों औरमानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एसडीआरएफ के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) द्वारा दौरा आधारित मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में दी जाती है मुआवजे के रूप में नहीं। वर्ष 2025-26 में एसडीआरएफ को 1836 करोड़ रुपये पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बांदा और चित्रकूट ज़िलों में भारी वर्षा/बाढ़ से विभिन्न फसलों को नुकसान हुआ है। सूखा, ओलावृष्टि और कीटों के प्रकोप से फसलों के नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। बांदा जिले में 2284.78 हेक्टेयर और चित्रकूट जिले में 106.32 हेक्टेयर धान की फसल का नुकसान हुआ है।

भारत सरकार ने, प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय को बनाए रखने के लिए खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को आरंभ किया है। इस योजना के तहत बुआई पूर्व से लेकर कटाई के बाद तक की हानि के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत केवल उन्हीं किसानों को दावों का भुगतान किया जाता है जिन्होंने अपनी फसलों का बीमा कराया है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र/फसल में किसी भी अधिसूचित फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम शेयर चुकाया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के तहत किसानों के नामांकन और उन्हें भुगतान किए गए दावों का विवरण निम्नानुसार है:

ज़िला	**नामांकित आवेदन**	**भुगतान किए गए दावे**
	(संख्या में)	**(रुपये करोड़ में)**
बाँदा	251,340	16.04
चित्रकूट	188,129	3.32
कुल	439,469	19.36

* स्रोत- एनसीआईपी 2024-25

(ङ): उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****